उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक 1598 /आ0,

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता,
—सह—
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

बोकारो, दिनांक 29/10/2020

विषय :— **शिकायत से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, राँची से प्राप्त ऑनलाईन शिकायत संख्या—18062020003 द्वारा पी0एच0एच0 राशन कार्ड संख्या—202002054340 से श्री मुकेश गोप एवं लक्ष्मी कुमारी का नाम हटाकर नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मॉग की गयी है। शिकायतकर्त्ता को दूरभाष पर सम्पर्क कर जानकारी दिया गया है कि एक आधार पर एक ही राशन कार्ड निर्गत किया जा सकता है, एवं आवेदक द्वारा दिए गए उक्त दो सदस्यों का नाम उक्त राशन कार्ड में पूर्व से अंकित है, इसलिए नया राशन कार्ड निर्गत करना संभव नहीं है। आवेदक द्वारा उक्त नामों को यथावत रखने का अनुरोध दूरभाष पर किया गया है।

अतः प्रश्नगत मामले को संचिकास्त किया जा सकता है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,
28/10/2020

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बोकारो।